


50



न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर

प्र०क० -दो/2016 निगरानी

आ-2302-II-16

बैजनाथ पुत्र छोटेलाल वर्मा

कृषक ग्राम गोपालपुर

तहसील व जिला शिवपुरी

---आवेदक

दिनांक 12-7-16 को विरुद्ध  
श्री जी. श्री. शर्मा - मंगलिया पुत्र खेमा किरार  
ग्राम गोपालपुर तहसील व जिला शिवपुरी

2-मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

---अनावेदकगण

( निगरानी अंतर्गत धारा 50, म०प्र०भू राजस्व संहिता,  
1959 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की  
कंडिका 30 - नायब तहसीलदार तहसील शिवपुरी द्वारा  
प्रकरण क्रमांक 5/1983-84अ-19 में पारित आदेश  
दिनांक 19-7-1984 के विरुद्ध)

महोदय,

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि आवेदक ग्राम गोपालपुर का कृषक है एवं ग्राम  
गोपालपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 2/4 रकबा 1.045 हेक्टर  
(आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर वर्ष 1956  
से आवेदक के पिता श्री छोटेलाल वर्मा एवं वर्तमान में आवेदक  
काविज होकर खेती करते आ रहे हैं एवं अपने परिवार का  
पालन पोषण करते आ रहे हैं। यह कि अनावेदक क्रमांक-1 के  
नायब तहसीलदार शिवपुरी से मिलकर मिलकर वर्ष 1984 में

Subba


M

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2302-दो/16

जिला - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जी.पी. नायक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर जिला शिवपुरी</u></p>	